कार्यालय कलेक्टर, जिला कटनी (म.प्र.)

क्रमांक/ 9521 /नजूल शाखा/2024 कटनी, दिनांक 12/06/2024

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
राष्ट्रीय राजमार्ग
संभाग सागर

विषय :- ग्राम बडवारा तहसील बडारा स्थित भूमि खसरा नंबर 133 रकवा 90.80 हे० में से 31.90 हे० भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत न्यायालय कलेक्टर कटनी के राजस्व प्रकरण क्रमांक/124/अ-20(3)/2023-24 में आदेश दिनांक 07-06-2024 अनुसार ग्राम बडवाराकला जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 133 रकवा 90.80 हे० में से 31.90 हे० बडे झाड के जंगल मद की राजस्व भूमि को वैकल्पिक/क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु म०प्र० शासन वन विभाग को अंतरित/उपलब्ध कराई गई है।

अत: उक्तानुसार आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- आदेश की प्रति

प्रभारी अधिकारी
नजूल शाखा
जिला-कटनी

पृ० क्रमांक/ 9522 /नजूल शाखा/2024 कटनी, दिनांक 12/06/2024

प्रतिलिपि:- वन मंडाधिकारी कटनी की ओर सादर सूचनार्थ।

प्रभारी अधिकारी
नजूल शाखा
जिला-कटनी

कार्यालय मध्य वृत्त, वन विभाग, रेल्वे स्टेशन रोड, जबलपुर (म0 प्र0) – 482 001

आदेश

क्रमांक / व्यय / मा0चि0 57

जबलपुर दिनांक 6 / 8 / 2024

पन्ना जिले में टाईगर रिर्जव के बफर जोन से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग के विस्तार / चौडीकरण हेतु 31.82 हे0 वनभूमि हेतु लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल के पत्र क्र0 एफ–5 / 1215 / 2023 / 10–11 / 3315 दि0 24.06.2024 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, कटनी द्वारा पत्र क्रमांक / मा0चि0 / 5303 दिनांक 29.07.2024 से बडे झाड के जंगल मद की राजस्व भूमि में 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है । उक्त योजना की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी को निरस्त की जाती है :–

परियोजना	तकनीकी स्वीकृति आ0 क्र0 व दि0	परिक्षेत्र	खसरा क्र0	ग्राम	रकबा (हे0 में)	अवधि	अनुमानित राशि (रू0 में)
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग के विस्तार / चौडीकरण	54 31.07.2024	बड़वारा	132 / 2	बड़वाराकला	31.90	2024–25 से 2034–35	1,23,47,179.00

(कमल अरोरा, भा0व0से0)
वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर

क्रमांक / व्यय / मा0चि0 58

जबलपुर दिनांक 6 / 8 / 2024

प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल के पत्र क्र0 / एफ–5 / 865 / 2019 / 10–11 / 4165 दिनांक 5.04.2024 से लेख किया गया है कि उक्त तकनीकी स्वीकृति मे मुद्रण त्रुटिवश प्रकरण का विषय "पन्ना जिले में टाईगर रिर्जव के बफर जोन से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग के विस्तार / चौडीकरण" मुद्रण होने के कारण उक्त तकनीकी स्वीकृति निरस्त कर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति जारी किया जाना है । अतः छतरपुर जिले मे प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग के विस्तार / चौडीकरण" हेतु 31.82 हे0 वनभूमि हेतु लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव मे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल के पत्र क्र0 एफ–5 / 1215 / 2023 / 10–11 / 3315 दि0 24.06.2024 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, कटनी द्वारा पत्र क्रमांक / मा0चि0 / 5303 दिनांक 29.07.2024 से बडे झाड के जंगल मद की राजस्व भूमि में 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है । प्राप्त योजना का प्राकलन का परीक्षण करने तथा वनमण्डलाधिकारी सा0 कटनी द्वारा की गयी अनुशंसा उपरांत म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के पत्र क्र0 / 1194 / 191 / 2022 / नियम / 4 / दि0 14.07.2022 के माध्यम से म0प्र0 बुक आफ फायनेंशियल पावर्स 1995 के भाग–2 के

कार्यालय मध्य वृत्त, वन विभाग, रेल्वे स्टेशन रोड, जबलपुर (म0 प्र0) – 482 001
दूरभाष-0761-2624341, ई-मैल ccf.jbp@mp.gov.in

क्र0 / मा0चि0 / 5222

जबलपुर, दिनांक 6 / 08 / 2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध)
वन भवन, भोपाल ।

विषय :- छतरपुर जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के विस्तार / चौड़ीकरण हेतु 30.426 हे0 वनभूमि कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग,सागर को उपयोग पर देने बावत। (FP/MP/ROAD/30762/2017).

संदर्भ :- आपका पत्र क्र0 / एफ-5 / 865 / 2019 / 10-11 / 4165 5303 दिनांक 5.08.2024.

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार विषयांकित प्रकरण में पूर्व में जारी तकनीकी स्वीकृति को निरस्त कर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति जारी कर अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार ।

(कमल अरोरा, भा0व0से0)
वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर

पृ0 क्र0 / मा0चि0 / 5223

जबलपुर, दिनांक 6 / 08 / 2024

प्रतिलिपि :- 1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) छतरपुर वृत्त, छतरपुर ।

2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, कटनी / छतरपुर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।

वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी बड़वारा (सामान्य)

मुख्यालय– बरही, पिन–483770

Mo.No. : 9424792770

Email : rotbadwara@mp.gov.in, ro_badwara@rediffmail.com

क्रमांक/ 1517 बरही, दिनांक/ 11/7/2024

प्रति,

श्रीमान् वनमंडल अधिकारी,
सामान्य वनमंडल कटनी

विषय :– पन्ना जिले में पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग के विस्तार/चौड़ीकरण हेतु 31.82 हे0 वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 31.90हे0) लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने बावत्। (FP/MP/ROAD/121709/2021)

संदर्भ :– आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मानचित्रकार/4585 कटनी, दिनांक 25.06.2024 ।

उपरोक्त संदर्भित विषयानुसार निवेदन है कि पन्ना जिले में पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग के विस्तार/चौड़ीकरण हेतु 31.82 हे0 वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 31.90हे0) लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने हेतु ग्राम बड़वाराकलॉ, तहसील बड़वारा, प.ह.नं. 09 के राजस्व भूमि खसरा नंबर 133/2 रकवा 90.180हे0 में से 31.90हे0 बड़े झाड़ के जंगल मद की राजस्व भूमि का निरीक्षण श्री राजेन्द्र कुमार कर्ण, कार्यवाहक उप वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र सहायक बड़वारा द्वारा दिनांक 08.07.2024 को राजस्व विभाग के हल्का पटवारी के साथ संयुक्त स्थल निरीक्षण एवं सीमांकन किया गया। उक्त खसरे के सीमा लाईन की प्रत्येक कॉर्नर की जी.पी.एस. रीडिंग ली गई एवं के.एम.एल. फाईल तैयार की गई। जी.पी.एस. रीडिंग निम्नानुसार है–

(1) N 23°45'38.10" E 80°34'39.50" (2) N 23°45'36.30" E 80°34'51.30"
(3) N 23°45'32.60" E 80°35'03.80" (4) N 23°45'32.90" E 80°35'05.60"
(5) N 23°45'32.20" E 80°35'13.50" (6) N 23°45'31.40" E 80°35'12.20"
(7) N 23°45'29.30" E 80°35'11.20" (8) N 23°45'27.00" E 80°35'08.70"
(9) N 23°45'25.10" E 80°35'03.60" (10) N 23°45'20.80" E 80°35'02.50"
(11) N 23°45'25.60" E 80°34'37.90"

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम बड़वाराकलॉ के खसरा नं. 133/2 रकवा 31.90 हे0 की राजस्व भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मौके पर पंचनामा तैयार किया गया, जो संलग्न कर आपकी ओर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न :– प.स.बड़वारा का जांच प्रतिवेदन, मौका पंचनामा,
फार्म बी–I, फार्म पी-II, नक्शा, सीमांकन डिजिटल मैप,
एवं के.एम.एल.मैप प्रिंट।

(गोविन्द नारायण शुक्ला)
कार्यवाहक वनक्षेत्रपाल
वन परिक्षेत्र अधिकारी
बड़वारा (सा.)

अंतर्गत अनु0 क्रमांक 20 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

परियोजना	परिक्षेत्र	खसरा क्र0	ग्राम	रकवा (हे0 में)	अवधि	अनुमानित राशि (रू0 में)
जिला छतरपुर के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग के विस्तार/चौडीकरण	बड़वारा	132/2	बड़वाराकला	31.90	2024–25 से 2034–35	1,23,47,179.00

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं :-

(1) इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये हैं । यदि प्रस्तावों में कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराऐं। इस स्वीकृति के अधीन उक्त कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेगें, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न कराया जावें ।

(2) कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावें । स्थल किसी योजना के कार्य हेतु ओवरलेप न हो ध्यान रखा जाये इसकी जवाबदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा ।

(3) कोई भी सामग्री क्रय करते समय मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन करेगे।

(4) किसी भी प्रकार के परिवर्तन स्थल/प्रोजेक्ट में उल्लेखित कार्यों के परिवर्तन की दशा में पुनरीक्षित तकनीकी जारी करायेगें ।

(5) कार्य प्रारंभ के पूर्व विस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी0पी0आर0 तैयार कर कार्य प्रारंभ करायेगें । उक्त निर्देशों के अभाव में तकनीकी स्वीकृति स्वयं निरस्त मानी जावेगी।

(कमल अरोरा, भा0व0से0)
वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर
जबलपुर दिनांक 6/8/2024

पृ.क्र./मा.चि./5221

प्रतिलिपि :- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म0 प्र0 की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

2.. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल की ओर उनके पत्र क्र0 एफ–5/ 865/ 2019/10–11/4165 दि0 5.08.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ संप्रेषित।

3 वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमडल, कटनी की ओर आपके पत्र क्र0/मा0चि0 / 5303 दिनांक 29.07.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

फार्म बी-1

ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रूपये पैसों में

किश्तबन्दी खतौनी (आसामीवार)

[illegible]: बड़वाराकला | हल्का : बड़वाराकला | रा.नि.म. : बड़वारा | तहसील : बड़वारा | जिला : कटनी | वर्ष: 2024-2025

खाते का अनु क्रमांक	भूमिस्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खाते के ब्यौरे		चालू और बकाया मांग				वसूलियां					खजाने में जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाकी			वर्ष की समाप्ति के पश्चात् की वसूलियां			जारी की गई रसीदें, आदेशिकाओं के ब्यौरे
		खाते में शामिल प्रत्येक भू-मापन क्रमांक का क्रमांक	प्रत्येक भू-मापन क्रमांक का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किस्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर अवबाब	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अवबाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर अवबाब	योग	भू-राजस्व	उपकर अवबाब	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन सम्पूर्ण भाग शासकीय संस्था	133/2	31.9000	भू.रा.शा 0	0.00	पंचायत 0.00 शाला 0.00	0.00															सर्वे नं 133/2
		1	31.9000	0.00	0.00	0.00	0.00															

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में संशोधन / सत्यापित प्रतिलिपि हेतु संबंधित जिला / तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

specimen copy

राजेन्द्र कुमार कर्ण
का.वा. उप वन क्षेत्रपाल
प०स० बड़वारा

	नक्शा के [illegible]	
[illegible]	वर्ष: 2024-25	दिनांक : 08-07-2024 16:29:12

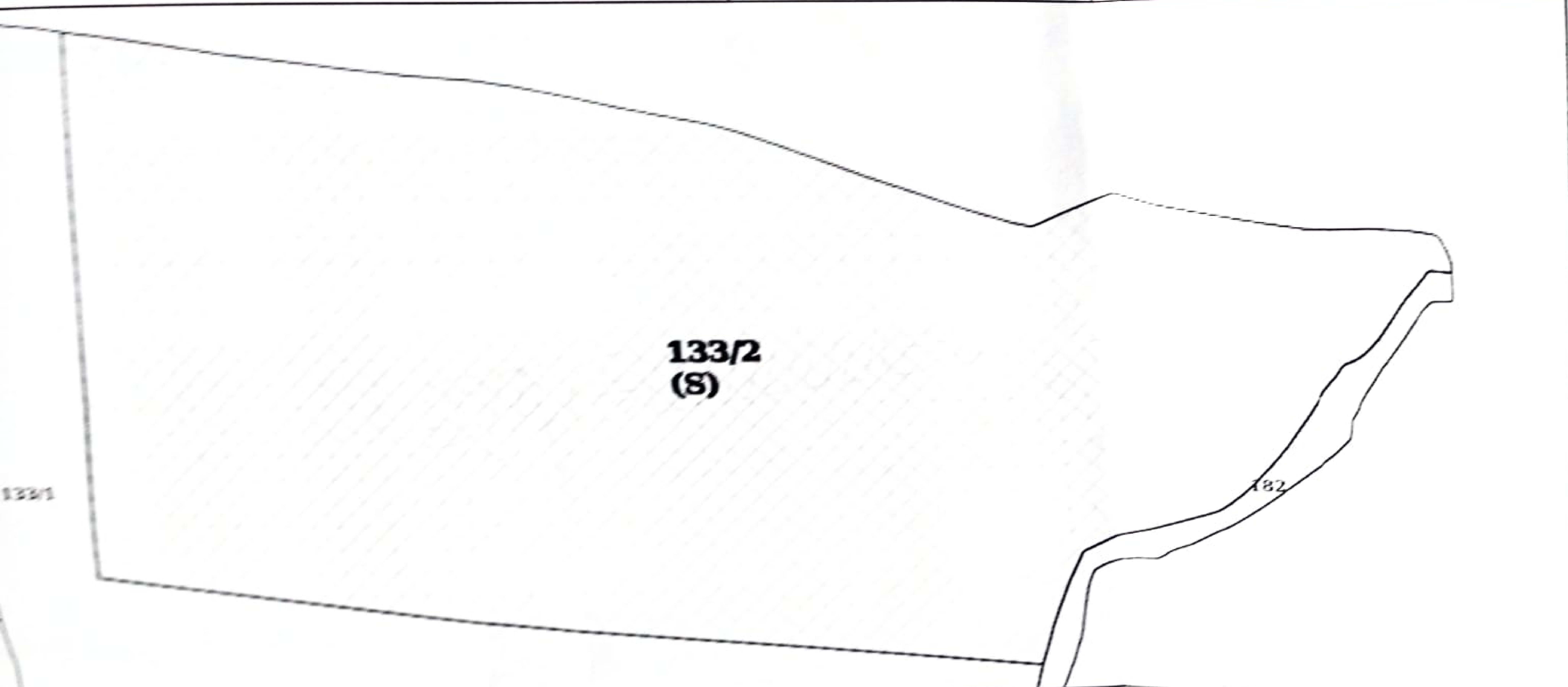

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	मापांक 1:4000 [illegible]	0 20 40 60 80 100 120 160m

(हस्ताक्षर)

राजेन्द्र कुमार कर्ण
[illegible]

गौशाला, आदर्श रोपण

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि होने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस
प्रथम (2024–25)	15304	1	15304.00
द्वितीय (2025–26)	5083	1.06	5387.98
तृतीय (2026–27)	2492	1.1236	2800.01
चतुर्थ (2027–28)	1922	1.191	2289.10
पंचम (2028–29)	969	1.2625	1223.36
षष्ठम (2029–30)	490	1.3382	655.72
सप्तम (2030–31)	490	1.4185	695.07
अष्टम (2031–32)	490	1.504	736.96
नवम (2032–33)	490	1.594	781.06
दशम (2033–34)	490	1.69	828.10
ग्यारहवा (2034–35)	490	1.79	877.10
कुल योग			31578.46
कुल राशि (@391/प्रति दिवस)			12347179.18
Or Rs.-			12347179.00
प्रति हे० व्यय			387058.90

वन परिक्षेत्र अधिकारी
[illegible]

उपवनमंडलाधिकारी
कटनी (पूर्व)

वनमंडलाधिकारी
(सा.) वनमंडल कटनी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये चयनित यह वन क्षेत्र रोपण हेतु उपयुक्त है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बड़वारा

उपवनमंडलाधिकारी
कटनी (पूर्व)

वनमंडलाधिकारी
(सा.) वनमंडल कटनी

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्र. 58 दिनांक 06/08/2024
द्वारा जारी की गई।

वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर

3